समाचार एवं विचार सेवा वार्षिक सहयोग राशि 25/–

महाकौशल–संदेश

वर्षः– 2019–20 पृष्ठः– 4 अंक :– 46 संपादक :– डॉ. किशन कछवाहा

RNI No. MPHIN/2001/11140

यह सामग्री 'प्रकाशनार्थ' प्रेषित है। कृपया अपने लोकप्रिय पत्र–पत्रिका में प्रकाशित कर Complimentaryकापी प्रेषित करने की अनुकम्पा करें।

नानक नाम जहाज है – डॉ. किशन कछवाहा

गुरूनानक देव का दर्शन चित्त को स्थिर और सत्य की परख कराने वाला है। उससे राष्ट्र शौर्य और स्वाभिमान युक्त बना। उसमें सात्विक सोच और कर्तव्यनिष्ठ का मिला–जुला रूप देखा गया है। उनके दर्शन ने मातृभूमि पर शिकंजा कसने वाले विदेशी आक्रान्ता के खिलाफ खड़े होने का साहस प्रदान किया। इस दर्शन से छोटे–बड़े का भेद मिटाने की सीख मिली। काबा की ओर पैर करने की घटना ने अपने गूढ़ दर्शन को सहजता से समझा दिया कि 'इक ओंकार' के मंत्र में उस परम शक्ति का संकेत निहित है। चाहे 'राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो' ये नाम आदमियों के दिये हुये हैं, लेकिन एक उसका नाम है, जो हमने नहीं दिया। वह ओंकार है।

आज से 550 साल पूर्व श्री गुरूनानक जी देव का अवतरण भारत के राजनैतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक जगत के लिये एक विलक्षण घटना थी उस समय समाज भेदभाव और आडम्बर के भंवरजाल में फंसकर विघटित होकर अत्यन्त क्षीणता की स्थिति में पहुंच चुका था। इस समय किसी अद्भुत पुरूष के द्वारा समाज को नयी चेतना जगाई जाने की आवश्यकता थी। ज्ञान का अपार भंडार तो था लेकिन उस पर पर्याप्त प्रकाश डालने की आवश्यकता थी जिसकी पूर्ति अंततः नानकजी देव के अवतरण से पूरी हो सकी।

इस दुर्बलता का लाभ उठाकर विदेशी क्रूर आक्रान्ता प्राचीन धार्मिक एवं सांस्कृतिक अस्मिता को नष्ट–भृष्ट करने में जुट गये थे। इस भारतीयों के आत्मविस्मृत और भेदभाव के दल–दल में धंसे दुर्बल समाज को निकालने के लिये श्री गुरूनानकजी महाराज ने चार लम्बी यात्रायें की। इन्हें उदासी के नाम से जाना जाता है। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने लगभग 45 हजार किलोमीटर की यात्रायें करते हुये ओजस्वी प्रवचनों द्वारा जन–जन को जगाने का अथक प्रयास किया। इन यात्राओं के दौरान उन्होंने सनातन धर्म, बौद्ध, जैन, इस्लाम तथा सूफी सन्तों से मिलकर संवाद करते हुये अपने पावन उद्देश्य को पूरा किया। इन्हीं यात्राओं के दौरान गुरूनानक जी महाराज ने बाबर के जुल्मों के खिलाफ भी अलख जगाई। उन्होंने भारत के धर्म और संस्कृति को आहत करने वाले विधर्मी आक्रान्ता बाबर को 'यमदूत' बताया। उन्होंने किसी भी जीव के शोषण को त्यागकर दयाभाव पैदा करने सम्बंधी उपदेश भी दिये। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जीविका का उपार्जन पाप के बिना हो और पुरूषार्थ से कमाये हुये धन को जरूरतमंद लोगों में बांटकर उसका सुदुपयोग होना चाहिये।

सदगुरू नानक देव जी का जन्म (वर्तमान पाकिस्तान) तलवंडी गांव में पिता कालू के घर हुआ था। उस समय भारत 400 वर्षों तक विदेशी हमलावरों से आक्रांत था। उस समय हिन्दू जात–पांत में बंट चुके थे। दलित समाज पूर्णतया समाज से अलग हो चुका था। महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहे थे। ऐसे समय में गुरू के प्रभावी उपदेशों की आवश्यकता थी। उन्होंने तत्कालीन सन्तों–महात्माओं की वाणी एक चित कर बिखरे हुये समाज को जगाने में उसका उपयोग किया। आज भगत, कबीर, रविदास, परमानन्द, धन्ना, तरलोचन भगत सेन, बाबा फरीद, सूरदास, भगत जयदेव की वाणी गुरूनानक के प्रयासों से ही जन–जन तक पहुंच सकी।

नानक जी महाराज कहते हैं कि हम आदमी हैं, हमारी जिन्दगी एक सांस पर टिकी हुयी है। हमें जीने की मुहलत मिली हुयी है, कब जाने का मुहुर्त आ जाय। यह पता नहीं। इसलिये उस समय तक परमात्मा का स्मरण करते रहें। हरि के बिना यह जीव जलकर राख हो जायगा। अतः प्रभु परमात्मा ही मानव जीवन का परम आधार है।

गुरूनानक जी ने अपनी आध्यात्मिक परम्परा में सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से समन्वय पर जोर दिया। गुरू ग्रंथ साहिब में कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग का समन्वय स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। उनके एकेश्वर बाद को विदेशी लेखकों द्वारा इस्लाम से प्रभावित होने की बात कही है। ऐसा पूरी तरह से भ्रमित करने का कुप्रयास है। भारतीय चिन्तन में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने वाले और न स्वीकार करने वालों की परम्परा है। इस्लाम का अस्तित्व तो मात्र 1400 वर्षों पहले का है। क्या उसके पहले एकेश्वर बाद की धारणा भारत में विद्यमान नहीं थी?

यदि ईश्वर का अस्तित्व है, तो सारे विश्व में एक ही ईश्वर हो सकता है, अनेक ईश्वर नहीं हो सकते। ''एकम् सद्विप्रा बहुधा वदन्ति।'' भारतीय चिन्तन का यह मूलाधार है। कश्मीर यात्रा के दौरान गुरूनानक देव की कई सिद्धों, ऋषियों और सूफियों से मुलाकात हुयी। उन्होंने सभी को आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया।

श्रीगुरूनानक देव का चिन्तन विविध विषयों को समेटे हुये अत्यन्त व्यापक है। यहां भक्ति में समर्पण का स्वरूप दिखाई देता है। उन्होंने जल संरक्षण और स्वच्छ पर्यावरण के प्रति भी उस समय लोगों को जागरित किया था। उन्होंने महान एवं प्रभावी कार्य किये जिससे यह भारत माता गौरवान्वित हुयी है। साथ ही आने वाली पीढ़ियाँ भी उनकी वाणी से लाभ उठाती रहेगी। उनका जीवन, शिक्षा और लेखन मानव सम्यता की अमूल्य विरासत है।

उनका नाम नाम नहीं एक सिद्ध मंत्र हो गया। जो बोले सो निहाल और जो 'बो' ले वो भी निहाल। आचार्य रजनीश के अनुसार 'जपुजी' उनकी पहली भेंट है, परमात्मा से लौटकर। जब व्यक्ति मिटता है, उस समय आँख के सामने जो होता है, वही परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं वह निराकार है। उन्होंने जो भी कहा एक–एक शब्द बहूमूल्य है।

हम उनके संदेशों व जीवन के मर्म को समझते हुये इस मानव जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन करते चले जायें। इसी से परलोक भी सुधरेगा। महापुरूषों के जन्म का उद्देश्य यह होता है कि मनुष्य अपने जीवन में श्रेष्ठता को जागृत करने का मर्म और ढ़ंग उनके जीवन यापन के तरीके को देखकर स्वयं सीखने का प्रयास करे। वे जब भी धार्मिक यात्राओं से वापिस लौटते तो फिर अपनी खेतीबाड़ी के काम में लग जाते थे। वे संसार त्याग चुके सन्यासी नहीं थे।

गुरूनानक भारतीय सभ्यता के एक नये युग के अग्रदूत थे। वे एक जागृत आत्मा थे। वे वह सब देख सकते थे, जो दूसरे नहीं देख सकते थे, न सोच सकते थे।

मानवजाति के उत्थान के लिये उनके द्वारा दिखाये गये मार्ग, एकता, समानता, विनम्रता और सेवा का दुनिया भर के लोगों पर बड़ी संख्या में असर हुआ है। इस कारण अनुगमन भी किया जा रहा है। यही उनके सच्चे ज्ञान का प्रभाव है। नानकजी की शिक्षायें और संदेश मानवजाति को बड़े से बड़े संकट से निकालने में सक्षम है।

नागरिकता कानून का विरोध? मुस्लिम नेता कट्टरता के समर्थक - डॉ. किशन कछवाहा

नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाली निहित स्वार्थों वाली राजनैतिक व भाजपा विरोधी अराष्ट्रीय प्रवृत्ति वाली शक्तियों को उन पाकिस्तान, बांग्ला देश और अफानिस्तान के अल्पसंख्यकों (हिन्दू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी) का दर्द और तकलीफ क्यों महसूस नहीं हो रही? ये लोग भारत इसलिये आते हैं ताकि उनकी संस्कृति, संतति, जान और धर्म सुरक्षित रह सके। ऐसे लोगों के प्रति दया और करूणा का भाव उनके हृदयों में क्यों नहीं उमड़ता? वे किन–किन शैतानी ताकतों से प्रताड़ित होकर यहां आये हैं। इस मामले को 'संविधान की रक्षा' का नाम देकर देश में अराजकता का माहौल पैदा करने की अमानवीय कोशिशें हो रही हैं।

क्या ये तथाकथित विरोध करने वाले नहीं जानते कि पिछले 70 वर्षों में उन–उन देशों में रहने वाले हिन्दुओं आदि ने कैसे–कैसे जुल्म नहीं झेले। दूर न भी जायें तो भारत के अल्पसंख्यक कहे जाने वाले कश्मीर के बहुसंख्यक आबादी वाले मुसलमानों ने गत तीन दशक पहले कश्मीरी हिन्दूओं के साथ अनगिनत अमानवीय कहे जाने वाले अत्याचार किये थे और उन्हें बलात् कश्मीर छोड़ने को बाध्य किया था। उनकी संख्या भी पांच लाख से कम नहीं थी। ये तो अपने ही देश में शरणार्थी बना दिये गये थे। इनके दर्द को महसूस कर सरकार यदि देर–अबेर मरहम लगाने की कोशिश कर रही है तो इन्हें आपत्ति किस बात की है?

सी.ए.ए. (नागरिकता सुरक्षा कानून) को भाजपा के विरोध के लिये राजनैतिक चश्मे से आँख मलते हुए नहीं देखा जाना चाहिये। सी.ए.ए. का विरोध करने वाली केरल जैसी सरकारें भी संविधान की शपथ लेकर आयी हैं। क्या उन्हें प्रस्तावपारित करने का अधिकार है? उनका यह कदम भी संविधान विरोधी है व सीधी–सीधी संसद की शक्तियों को चुनौती दी जा रही है।

मार्क्सवादी और कट्टरवादी मुल्लाओं की यह जोड़ी भारत को जलाने पर आमादा है। अब उनके पाखंड की पोल खुल रही है जिस कारण उनका आक्रोश सामने आ रहा है। भारत–पाक के दुर्भाग्यपूर्ण बंटवारे की पीड़ा पीड़ित परिवार ने तीसरी पीढ़ी तक झेली है, और दर्दनाक परिस्थिति में जीवन जिया है। जरा उस परिस्थिति का स्मरण करें जिसमें अल्पसंख्यकों की 8–10 साल से लेकर नाबालिक बच्चियों का अपहरण करके मौलवियों द्वारा उसी दिन जबरन इस्लाम कबूल करवा दिया जाता रहा है। ऐसी छोटी बच्चियों का अधेड़ उम्र के लोगों से निकाह करवा दिया जाता है। इन लोगों की परेशानियों को देखकर मन में बड़ी छटपटाहट और पीड़ा किसको नहीं होती होगी? यह बेहद गम्भीर मानवीय विषय है। 70 साल में पहली बार किसी ने इस पर ध्यान दिया। ऐसे अत्याचार और अमानवीय दृश्य आज भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में देखे जा सकते हैं। इन देशों में हिन्दू ही नहीं ईसाईयों को भी प्रताड़ित किया जाता है।

देशद्रोही और देश को तोड़ने वाले जिन्ना को सिर–आंखों पर चढ़ाये रखने वाले कट्टरपंथी मुसलमान जिन्होंने भारत का विभाजन कराया उनकी ही सक्रियता को आज नागरिकता कानून के विरोध में उठ रही आवाजों से समझा जा सकता है और कहा जा सकता है, वैसे ही लोग हिन्दुओं से नफरत कर पाकिस्तान में अत्याचारों की तलवार तले जिन्दगी लुटवा रहे थे अब उन्हें भारत में शरण देने का विरोध कर रहे हैं। 'ला इल्ला इलिल्लाह' व 'अल्लाह हु अकबर' का नारा लगाते हुये हिन्दुओं की और सरकारी सम्पत्ति को जला रहे हैं, पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। इस अन्तर को समझना होगा कि ये मौलाना आजाद या औबेसी–अमानतुल्ला जैसी मानसिकता वाले लोग हैं? क्या इन लोगों ने कभी डॉ. अब्दुलकलाम के प्रति सम्मान व्यक्त किया व श्रद्धा प्रदर्शित की।

सत्ता के लिये छटपटाती कांग्रेस सहित कतिपय विपक्षी दलों द्वारा शाहीनबाग स्टाईल में जो विरोध आन्दोलन चलाये जा रहे हैं उसका निष्कर्ष यही है कि ये एक ओर जहां अपना खिसकता हुआ मुस्लिम वोट बैंक बरकरार रखने के लिये तिलमिलाहट के साथ मोदी विरोध का एजेन्डा पूरा करना चाहते हैं, वहीं इसी विरोध के तीन देशों के पाकिस्तानी, बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों को इस्लामी एकता के नाम पर शरण देकर अपने वोट बैंक को और अधिक मजबूती देना चाहते हैं। इस नागरिकता संशोधन कानून से भारत में निवास कर रहे मुसलमानों का किस प्रकार का अहित होने जा रहा है?

अवैध घुसपैठियों की बढ़ती संख्या ने असम सहित पूर्वी राज्यों में असन्तुलन की स्थिति पैदा करते हुये राष्ट्रीय संकट खड़ा कर दिया है। अब तक ये उजागर हो चुका है कि इसी एजेन्डा (वोट बैंक) के लिये शाहीनबाग स्टाईल पर चलाये जा रहे आन्दोलन को प्रभावी बनाये जाने के लिये प्रतिदिन धरने पर बैठी मुस्लिम महिलाओं को 500–700 रूपये के हिसाब से तथा खाने के लिये बिरयानी की व्यवस्था आन्दोलन–संयोजकों द्वारा की जा रही है। इससे समझा जा सकता है कि तथाकथित टुकड़े–टुकड़े गेंग देश को किस प्रकार के संकट की ओर ढकेलने सक्रिय है।

क्या भारत में कभी भी मुसलमानों का उत्पीड़न हुआ है? अबतक इस्लाम के अनुयायियों को इस देश में किसी भी तरह के उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ा है। अगर यहां कोई आता है, चाहे वह मुस्लिम ही क्यों न हो, वह भी पहले से बने कानून के हिसाब से नागरिकता हासिल कर सकता है। इसमें समस्या क्या है? जानबूझकर गलत जानकारियों का प्रसार किया जा रहा है।

नागरिकता संशोधन कानून से नया जीवन मिलेगा – बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यक (हिन्दू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई आदि) जलालत की जिन्दगी जी रहे हैं। वहां गैर–मुस्लिमों के साथ अमानवीय जुल्म ढ़ाये जा रहे हैं। वे लोग दुःखी होकर जीवन की नयी आशा लेकर भारत आते हैं। इसलिये भारत सरकार ने करूणा भाव से प्रेरित होकर ऐसे लोगों को नागरिकता देने के लिये कानून बनाया है। लेकिन कुछ क्षुद्र बुद्धि लोग वोट बैंक के लिये इस कानून का विरोध कर रहे हैं और बहाना है संविधान की रक्षा करने का।

भारत का गत 1500 वर्ष का इतिहास साक्षी है कि जब–जब विदेशों से आये अनेक मतावलम्बियों व मत–मतान्तर को लोगों को शरण, सहायता व सहोदर भाव के साथ अंगीकार किया है। किन्तु आज बड़ा दुर्भाग्य है कि कुछ लोग मात्र अपनी सत्ता लिप्सा के लिये पीड़ितों को न्याय देने का विरोध कर रहे हैं। ऐसे दुबुद्धियों को ईश्वर ही सद्बुद्धि दे सकता है।

इस कानून को लेकर गलत प्रचार किया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, समाज में दरार पैदा करने की कोशिशें की जा रहीं हैं। कानून का दुष्प्रचार करने के बजाये इस बात पर चर्चा होनी चाहिये की कि इस कानून को पारित करने में 70 साल क्यों लग गये? जबकि यह कानून अत्याचारों से पीड़ितों को शरण देता है, अत्याचार करने वालों को नहीं। इस कानून से लोगों को नया जीवन मिलेगा।

गहरी साजिश का शिकार जे.एन.यू.- डॉ. किशन कछवाहा

नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जे.एन.यू.) में वामपंथी संगठनों से जुड़े छात्र वैसे ही हिंसक हथकंडे अपना रहे हैं; जैसे उनके ही संगी साथी अलगाववादी अपनाते रहे हैं। इनके कृकृत्यों पर पर्दा डालने के लिये सेकुलर बिग्रेड के नेता, मीडिया, कलाकार और कट्टरवादी तत्व योजनाबद्ध तरीके से अक्सर आगे आ जाते हैं।

प्रश्न यही उठता है कि क्या देश के तौर पर हम अपने विश्वविद्यालयों को विदेशी–विमाजक हिंसक विचार धाराओं का अभ्यारण्य बनाने की छूट दे सकते हैं। ये तत्व टुकड़े–टुकड़े, वोटी–वोटी काटने की मंशा बांधे हुये अभिव्यक्ति के अधिकार का दुरूपयोग कर रहे हैं। गाली–गलौज कर रहे हैं। आक्रोश के नाम पर सार्वजनिक सम्पत्ति को फूँकने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं।

गत 5 जनवरी को जे.एन.यू. की हिंसक घटनायें सुनियोजित साजिश का परिणाम थी। जानलेवा हमले किये गये थे। इन हमलावर नकाबपोशों की संख्या भी 400–500 के आसपास रही होगी। कतिपय छात्रों का कहना था कि वामपंथी गुट गत कई दिनों से परिसर में हिंसा का कुचक्र रच रहे थे। इसमें बाहर से आये गुण्डों ने भी इनका साथ दिया। जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक 100 मीटर के दायरे में धरना, प्रदर्शन और जमावड़ा प्रतिबंधित है।

परिसर में अंदर से 'हमें चाहिये आजादी' जैसे नारे लगाये गये। इस प्रदर्शन को, अराजक तत्वों के आन्दोलन को कॉंग्रेस का साथ मिला। पूर्व सांसद संदीप दीक्षित और उनके साथ एक मुस्लिम व्यक्ति भी वहां उपस्थित था। ये पत्रकारों को इशारों–इशारों में कुछ बता रहे थे। पहले वामपंथियों ने हमला किया फिर नेरेटिव गढ़ा कि बाहर से गुंडों ने आकर उन्हें पीटा। मीडिया ने भी एक तरफा खबरें गढ़ीं जिनमें सच्चाई विल्कुल नहीं थी।

विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन की दीवारें फर्श, मद्देनारों, व्यंगचित्रों से अटी पड़ीं हैं। समझा जा सकता है कि अभिव्यक्ति के नाम पर यह कैसी स्वतंत्रता है?

छात्रों को उनकी शिक्षा और रचनात्मकता से भटकाने वाले अनेक प्रकार के तत्व यहां सक्रिय हैं। इस विश्वविद्यालय का माहौल योजना बद्ध तरीके से गत लम्बे समय से खराब किया जा रहा है। पहले वरिष्ठ एवं शिक्षक तथा मार्गदर्शन करने वालों को पथभृष्ट किया गया।

अब स्थिति जहां तक जा पहुंची है–उसमें संस्थान का सर्वर तोड़ा जाना, अध्यापकों के कपड़े फाड़ना, 'देश की बर्बादी होने तक जंग' लड़ने के नारे लगाये जाना, भारत के जवानों के बलिदान पर जश्न मनाना, सरकारी बसें जलाना, 'हिन्दुओं से आजादी' के नारे लगाना, हिन्दुत्व की कब्र खोदने के नारे लगाने, अपने परिसर में जिन्ना की तस्वीर लगाने तक पहुंच गया है।

भारत में इस प्रकार के अधोगति की ओर ले जाने वाले छात्र आन्दोलन छात्रों को किस ओर ले जायेंगे? यह भी संकेत है, जिसे आमलोगों को तथा अभिभावकों को भी समझना होगा कि हम किस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हमारी प्राचीन परम्परा को गुरू शिष्य के पावन–सम्बंधों वाली रही है। इस परम्परा ने भटके हुये शिष्यों को प्रकाश की राह दिखाई है। यही कारण है कि छात्र के व्यक्ति से लेकर राष्ट्र के निर्माण तक की उच्च भावना निरन्तर पल्लवित होती रही है।

शरजील इमाम गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शाहीनबाग में चल रहे प्रदर्शन के दौरान काफी भड़काऊ और उकसाऊ तथा देश विरोधी भाषण देने के आरोप में शरजील इमाम को बिहार प्रदेश के जहांनाबाद की एक मस्जिद से गिरफ्तार किया है, जहां पर यह छिपा हुआ था। बिहार निवासी और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जे.एन.यू.) के पूर्व छात्र शरजील ने गत 13 सितम्बर को भी जामिया मिलिया इस्लामिया में भी ऐसा भाषण दिया था। पुलिस के अनुसार इन भाषणों से धार्मिक सौहार्द्र और भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की सम्भावना है इसलिये उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

शरजील इमाम के एक आडियो क्लिप में यह कहते भी सुना गया कि असम को भारत के शेष हिस्से काटना चाहिये और सबक सिखाना चाहिये। बताया गया कि उसने यह भी कहा कि अगर पांच लाख लोगों को एकत्रित कर सकें तो असम को भारत के शेष हिस्से स्थायी रूप से अलग किया जा सकता है। अगर स्थायी रूप से नहीं तो कम से कम कुछ महीनों तक तो किया ही जा सकता है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (ए.एम.यू.) परिसर में 16 जनवरी को दिये गये भाषण के लिये इसे गत शनिवार को राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया। असम पुलिस ने भी उसके भाषण को लेकर उसके खिलाफ उग्रवाद रोधी कानून के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है।

आजादी की रात / कालरात्रि

आजादी मिली पर जख्म गहरा था। 14 अगस्त 1947 की रात्रि इतिहास की कालरात्रि सिद्ध हुयी। हमारे नेताओं की अदूरदर्शिता व सत्ता की लोभलिप्सा की जल्दबाजी के कारण हम जीती बाजी भी हार गये।

''डूबी किश्ती वहाँ
जहाँ पानी कम था''

वाली कहावत चरितार्थ हुयी। देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन ने सारी खुशियों पर पानी फेर दिया। देश का विभाजन झूठ से, नफरत से और शैतानियत के आधार पर किया गया था। भारत ने वह सब कुछ झेला और सहा है और नेकनीयती की राह पर चलते हुये तरक्की की ऊँची छलांग लगा रहा है, वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान आज भी भूख और कंगाली से जूझ रहे हैं। वे अपने नागरिकों को भोजन शिक्षा और आश्रय देने में भी सक्षम नहीं है।

आजादी मिलने के पहले ही 16 अगस्त 1946 को बंगाल और विशेष रूप से कोलकाता में भारी नरसंहार हुआ। उसकी भयानकता का अनुभव तो भुक्तभोगी ही कर सके। यह जिन्ना और मुस्लिम लीग द्वारा अपनी माँग (पाकिस्तान के निर्माण) के लिये रचा गया षड़यंत्र था। इसे 'डायरेक्ट एक्शन' के रूप में जाना जाता है। इसके पूर्व मोपला दंगों, विभाजन के उपरान्त साम्प्रदायिक दंगे, पाकिस्तानी साजिश से आतंकी घुसपैठ, कवाईलियों के नाम पर कश्मीर पर हमला आदि। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक ''थाट ऑन पाकिस्तान में लिखा है,'' मालावार में (मोपला) मुसलमानों ने हिन्दुओं पर खून खौला देने वाले ऐसे–ऐसे जघन्य अत्याचार किये जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता।''

प्रख्यात चिन्तक एवं इतिहासकार बिल डूरेन्ट के अनुसार ''जितना रक्तपात भारत ने देखा है, उतना संसार के इतिहास में नहीं देख गया।''

भारत विभाजन के पूर्व 16 अगस्त 1946 से लगातार चार दिनों तक चली इस जिहादी हिंसक वारदातों में दस हजार से ज्यादा हिन्दुओं की हत्यायें की गयीं थी, 15 हजार लोग घायल हुये थे। लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार एवं अमानुषिक व्यवहार किया गया था। एक लाख लोगों को बेघरवार

शेष भाग पृष्ठ क्र.4 पर

शेष भाग पृष्ठ क्र.3 का

करने वाला यह अमानुषिक, भयानक एवं घृणित नरसंहार था। इसमें नृशंसता की तमाम हदें पार कर दी गयीं थी। इसके बाद 15 अगस्त 1947 को आजादी की घोषणा के साथ हुये हमलों में बीस लाख लोग मार डाले गये। दो करोड़ लोगों को अपनी पुश्तैनी जमीनें और कारोबार छोड़कर अन्यत्र जाने को बाध्य होना पड़ा था। इस बहशी खून–खराबे में माँ–बहिनों के साथ घोर अत्याचारी हुये।

विभाजन का कारण वही इस्लामी मुस्लिम कट्टर मानसिकता थी जिसके कारण भयंकर हिंसा के साथ रक्त–पात हुआ। लाशें बिछ गयीं। सन् 1947 में भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन झेला।

बंटवारे के लिये भारत के बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश के मुसलमानों ने पाकिस्तान निर्माण की मांग से समर्थन में 99प्रतिशत मतदान कर मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों को जिताया था। इनमें से अधिकांश तो पाकिस्तान गये भी नहीं। इस दूरभिसंधि वाले दुर्भाग्यपूर्ण बंटवारे के सच को देश और समाज से छिपाकर रखा गया। और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने सन् 1947 में खंडित भारत की सत्ता हस्तांतरण की शर्त को स्वीकार कर लिया।

लेकिन उत्पन्न हुये महाविध्वंशक हालातों में हिन्दू समाज के करीब 20 लाख लोग पंजाब और पश्चिम बंगाल में ही मारे गये। इस भयावह अत्यन्त हृदय विदारक स्थिति का उल्लेख अंतरिम सरकार के तत्कालीन मंत्री एन. डी. गाडगिल ने अपनी पुस्तक 'गवर्नमेंट फ्राम इन साईड,' में किया है। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लोदश) से भी अस्सी लाख हिन्दुओं को बलात् बाहर जाने को बाध्य कर दिया गया। यहां भी अनगिनत स्त्रियों का अपहरण एवं बलात्कार हुआ।

तत्कालीन गृहमंत्री सरदार पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा करते हुये कहा कहा था कि ''इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इस भयावह स्थिति भी संघ के बहादुर स्वयंसेवकों ने असंख्य निर्दोष स्त्री–पुरूषों एवं बच्चों की रक्षा की। दूर–दूर के क्षेत्रों से वे उन्हें बचाकर लाये।''

फिर भी बेशर्मी पूर्वक कहा जाता है ''बिना खड़ग, बिना ढ़ाल–आजादी को ले लिया गया। इसमें बाबू सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज के 26000 सेनानियों की कुर्बानियां हुईं।''

चन्दशेखार आजाद, भगतसिंह, राजगुरू आदि अनेकानेक क्रांतिकारियों की शहादत का लेखा–जोखा भी तो याद किया जाना है।

दैनिक जीवन में श्रीमद्भागवद्गीता

श्रीमद्भगवद्गीता जीवन की समस्याओं से पार निकलने और प्रमादग्रस्तजनों को जगाने का महामंत्र है। क्रोध या आवेश से बचने हेतु यहां गीता के कुछ अनुभूत प्रयोग दिये जा रहे हैं–

ये हि संस्पर्शा जा भोगा दुःखयोनय एव ते।
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः।। (5/22)

जो ये इन्द्रियों और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरूषों को सुखरूप भासते हैं, वे दुःखों के मूल बन जाते हैं और अनित्य (आदि और अन्तवाले) हैं। बुद्धिमान विवेकी मनुष्य उनमें नहीं रमते।

ध्यायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तेषू पजायते।
सङ्गात्स ञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते।।(गीता2/62)

जब कोई मनुष्य मन को विषयों के चिन्तन में लगा देता है तो उसे उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषय–भोगों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने पर क्रोध उत्पन्न होता है।

क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः।
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशों बुद्धिनाशात्प्रणश्यति।।(गीता 2/63)

क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मूढ़ता से स्मृति और बोधशक्ति भ्रान्त हो जाती है। इस भ्रान्ति से विवेकशक्ति का नाश हो जाता है और विवेक का नाश होने से मनुष्य का नाश हो जाता है।

शक्रतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्।
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः।।(गीता 5/23)

वह मनुष्य ही सुखी और योगी है, जिसने मरने से पहले इस लोक में ही काम और क्रोध के वेग को रोकने का अभ्यास कर लिया हो।

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते।
प्रसन्नचेतसो ह्याश बुद्धिः पर्यवतिष्ठते।। (गीता 2/65)

अन्तः करण में प्रसन्नता होने पर मनुष्य के सम्पूर्ण दुःखों का अभाव हो जाता है और इस प्रसन्नचित्त व्यक्ति की बुद्धि सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही स्थिर हो जाती है।

प्रो. वी.के. अरोड़ा,एम.ए.,पीएचडी

रानी दुर्गावती म्यूजियम में पाथेय संस्था के तत्वावधान में पेंटिंग एग्जीबिशन – हर रंग का भावनाओं से खास जुड़ाव

जबलपुर. पाथेय संस्था के तत्वावधान में शहर के कला साधक प्रमोद कुशवाहा द्वारा तैयार की गई पेंटिंग को एग्जीबीशन का रूप दिया गया। इस तीन दिवसीय पेंटिंग एग्जीबीशन का आयोजन रानी दुर्गावती म्यूजियम में किया गया। पेंटिंग की थीम कलासाधक प्रमोद द्वारा शिवा मून लाइट रखी है। इसमें 50 पेंटिंग शामिल की गई है। इसके अंतर्गत उन्होंने आध्यात्मिक दर्शन के साथ कलर थैरेपी की संयोजना को भी दर्शया है। गुरूवार को पेंटिंग एग्जीबीशन का समापन किया गया। इस मौके पर शाम 5बजे से काव्य गोष्ठी का आयोजन भी हुआ।

विचार संगोष्ठी का हुआ आयोजन – एग्जीबीशन के दौरान रंग थैरेपी पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि डॉ. राजकुमार सुमित्र ने कहा कि रंगों का मन,विचार और भावों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। राजेश पाठक प्रवीश ने कहा कि लाल रंग इंद्रीय और भाव भंगिमाओं को प्रभावित करता है। इस मौके पर गणेश श्रीवास्तव प्यासा, डॉ. विजय तिवारी किसलय, मीना भट्ट, डॉ. मीना गुप्ता, सुशील श्रीवास्तव, डॉ. कामना श्रीवास्तव, प्रभा विश्वकर्मा उपस्थित थीं। संचालन यशोवर्धन पाठक ने किया।

सूचना

कृपया आप अपना सुझाव महाकोशल संदेश के ई–मेल व्हाट्सअप नं. 9713223539 पर भेजें।

– सम्पादक

प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. किशन कछवाहा द्वारा विश्व संवाद केन्द्र, महाकोशल, प्लाट नं–1, म.नं. 1692, नवआदर्श कालोनी, के लिये ओम आफसेट प्रिन्टर्स 239, यूनियन बैंक के सामने बल्देवबाग चौक, जबलपुर द्वारा मुद्रित। प्रकाशन स्थान–विश्व संवाद केन्द्र प्लाट नं 1, म.नं. 1692 नवआदर्श कॉलोनी गढ़ा मार्ग जबलपुर मध्यप्रदेश । संपादक– डॉ. किशन कछवाहा
Email:- vskjbp@gmail.com kishan_kachhwaha@rediffmail.com